निर्णय बइजालास मनीषा तिवारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं 37/अपील/2016 तारीख दायरा 15.12.2016

उनवान

नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री आत्मासिंह जाति सिक्ख निवासी बकानी तह0 बकानी

––अपीलान्ट

बनाम

1. हरजीतसिंह पुत्र स्व0 श्री आत्मासिंह जाति सिक्ख निवासी बकानी तह0 बकानी
2. दर्शनसिंह पुत्र स्व0 श्री आत्मासिंह जाति सिक्ख निवासी बकानी तह0 बकानी हाल निवासी कोटा(मृतक जरिये कायममुकामान)
   2/1 महेन्द्रसिंह पुत्र दर्शनसिंह
   2/2 हरजिन्दरसिंह निवासी मकान नं0 163 कम्पीटिशन कालोनी थाने के पीछे महावीर नगर तृतीय कोटा
   2/3 मनप्रीत कौर दर्शनसिंह पत्नि इन्द्रजीतसिंह निवासी 11/1055 मालवीय नगर जयपुर
3. त्रिलोचनसिंह पुत्र स्व0 श्री आत्मासिंह जाति सिक्ख निवासी बकानी तह0 बकानी(कई वर्षो से लापता)
4. सतनाम कौर पुत्री स्व0 श्री आत्मासिंह जाति सिक्ख निवासी कान्ता सदन राधाकृष्ण मन्दिर रोड़ शिमला ब्रेकरी कारखाने के सामने कोटा जंक्शन कोटा

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट आदेश ग्राम पंचायत बकानी बाबत् खोलने इन्तकाल न0 1446 दिनांक 05.06.2016

उपस्थिति– विद्वान अभिभाषक श्री मंसूर आलम (अपीलान्ट)
विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल महेश्वरी (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय

निर्णय दिनांक – 13.01.2020

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बकानी तह0 बकानी के खाता संख्या नं0 46 खसरा न0 1144 रकबा 4 बिस्वा जिस पर रिहायसी मकान 60 वर्षो से बना हुआ है अपीलान्ट के पिता स्व0 श्री आत्मासिंह की स्वअर्जित संपत्ति है रेस्पोडेन्ट नं0 1 हरजीतसिंह, आत्मासिंह से बात भी नही करता था अपीलान्ट के भाई रेस्पोडेन्ट नं0 2 श्री दर्शनसिंहजी पिछले 40 वर्षो से बकानी से बाहर कोटा निवास करते थे रेस्पोडेन्ट नं0 3 त्रिलोचनसिंह कई वर्षो से परिवार सहित लापता है रेस्पोडेन्ट नं0 4 बहन सतनाम कौर की शादी लगभग 45 वर्ष पूर्व हुई तभी से वह कोटा रहती है तथा आत्मासिंह अपीलान्ट के साथ रहते थे तथा आत्मासिंह की देख रेख उनको सम्भालना उनकी सेवा का काम भी अपीलान्ट के द्वारा ही किया जाता था अपीलान्ट के पिता ने उनकी सेवाभाव एवं देख रेख से प्रसन्न होकर दिनांक 03.03.2014 को उनके समस्त स्वअर्जित चल अचल सम्पत्ति अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 05.03.2014 को वसीयत के रूप में उपपंजीयक कार्यालय बकानी में पंजीयन करवादी अपीलान्ट के पिता का देहान्त दिनांक 19.10.2015 को बकानी में हो गया अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर इन्तकाल खुलवाने हेतु पंचायत/तहसील में प्रार्थना–पत्र पेश किया तत्पश्चात दिनांक 31.05.2016 को उपखण्ड अधिकारी झालावाड के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थना पत्र पर नायब तहसीलदार बकानी को आदेश दिया कि नियमों अनुसार जांच कर विधिवत सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करें सम्बन्धित पटवारी हल्का ने इन्तकाल जिल्द पर इस आशय की रिपोर्ट कि की वसीयत के आधार पर इन्तकाल खोलकर स्वीकृत करने की अभिशंषा की किन्तु ग्राम पंचायत बकानी ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रार्थी के प्रार्थना पत्रों व वसीयत विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों पर विचार किये बिना चुपचाप दिनांक 05.06.2016 को इन्तकाल नं0 1146 खोल दिया जिसकी सूचना अपीलान्ट को नही दी जबकि

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड (राज0)

सुस्थापित विधि के अनुसार रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर इन्तकाल अपीलान्ट के नाम खुलना चाहिये था दिनांक 10.06.2016 को जानकारी होने पर नकल लेकर बिना किसी देरी के यह अपील निम्न कारणों से पेश की थी

इन्तकाल खिलाफ कानून, खिलाफ जाप्ता, खिलाफ उसूल–इंसाफ एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है पटवारी हल्का की रिपोर्ट व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों तथा उपखण्ड अधिकारी के नियमानुसार जांच कर विधिवत सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश/निर्देश व नायब साहब ने पटवारी हल्का को निर्देशानुसार के निर्देश व पटवारी हल्का की रिपोर्ट व रजिस्टर्ड वसीयत जिसे कहीं चुनौती नही दी गई है उसको नजरअन्दाज कर इन्तकाल खोलने में कानूनी भूल की है अपीलान्ट के पक्ष में इन्तकाल खोलने में रेस्पोडेन्ट नं0 2 के वारिसान कायममुकामान नं0 2/1, 2/2, 2/3 को कोई आपत्ति नही थी अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत थी जब तक यह वसीयत सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी जाती तब तक वसीयत अन्तिम है और उसके आधार पर इन्तकाल अपीलान्ट के पक्ष में खोला जाना था रेस्पोडेन्ट नं0 1 हरजीतसिंह ने पंचायत के सदस्यों पर अनुचित दबाव बनाकर तथा रजिस्टर्ड वसीयत को जिसका उनको ज्ञान था को नजरअन्दाज करते हुवे अवेध रूप से विधि के प्रावधानों के विरूद्ध इन्तकाल खुलवा लिया जो काबिले खारिज होने योग्य है अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल नं0 1146 दिनांक 05.06.2016 खारिज होने योग्य है तथा नये सिरे से रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में इन्तकाल खोले जाने का आदेश फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल महेश्वरी ने दिनांक 11.01.2017 को वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया रेस्पोडेन्ट नं0 3 लापता होने से रजिस्टर्ड तलवी नोटिस जारी किया गया जो अदम तामील रेस्पोडेन्ट के उपलब्ध नही होने पर प्राप्त हुवे जो शामिल पत्रावली किये गये तत्पश्चात सीपीसी के प्रावधानों के तहत रेस्पोडेन्ट नं0 3 को उपस्थिति हेतु स्थानीय अखबार में इश्तिहार छपवाये जाने के आदेश हुवे तथा इश्तिहार जारी किया गया जो स्थानीय अखबार देश की धरती में प्रकाशित हुआ बावजूद प्रकाशन रेस्पोडेन्ट नं0 3 उपस्थित नही हुवे तथा अपील बहस में रखी गई

वकील अभय पक्षकारान की अपील पर बहस सुनी गई पत्रावली का अवालोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा अपीलान्ट के पक्ष में अपीलान्ट के पिता द्वारा कि गई रजिस्टर्ड वसीयत का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रथम दृष्टतया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष का प्रतीत होता है ग्राम पंचायत बकानी में रजिस्टर्ड वसीयत को नजरअन्दाज किया है तथा इन्तकाल नं0 1446 दिनांक 05.06.2016 जिस पर सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर इन्तकाल खोलकर स्वीकृत किये जाने की अभिशंषा की है बावजूद अभिशंषा ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्ध जाकर इन्तकाल खोला है जबकि रजिस्टर्ड वसीयत को रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी गई थी ऐसी स्थिति में इन्तकाल मृतक आत्मासिंह जो अपीलान्ट के पिता भी हैं के वारिसानों के नाम खोलकर स्वीकृत कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है अतः पत्रावली का अवलोकन एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की रोशनी में तथा उभय पक्षकारान की बहस सुनने के पश्चात अपील अपीलान्ट न्याय हित में स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया इन्तकाल नं0 1446 दिनांक 05.06.2016 निरस्त किया जाता है अतः आदेश है कि नये सिरे से रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर जांच कर नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अपनायी जाकर इन्तकाल खोला जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा निर्णय की पालना कर निर्णय से अवगत करवावें।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2020.01.28 11:23:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: